

जापान का आधुनिकीकरण-III

मेईजी काल का संविधान-

मेईजी काल अथवा पुर्नस्थापना काल का संविधान ही आधुनिकीकरण का सच्चा पथ प्रदर्शक था। 1881 ई. को एक घोषणा द्वारा जापान के लिए एक संविधान निर्माण की तैयारी आरम्भ कर दी गई। ईतो हीरोबूमो को पश्चिमी देशों के संविधान का अध्ययन करने के लिए यूरोप भेजा गया। वह विएना तथा बर्लिन भी गया। वह पेरिस, लन्दन और रूस भी गया। वापस आने पर एक समिति बनाई गई जिसमें ईतो के साथ फोवाशी, मियोजी, तथा केन्तारो को भी रखा गया। इसने अपने अनुभवों के आधार पर जापान के लिए एक संविधान स्वीकार किया जिसकी घोषणा 11 फरवरी 1889 को कर दी गई।

संविधान की विशेषताएँ-

नया संविधान सामन्तवाद और पूँजीवाद का मिश्रित रूप था। जारी किये गये संविधान में संशोधन का अधिकार सम्राट को ही था। संविधान की व्याख्या का अधिकार न्यायालयों को दिया गया था। शाही महल साधारण नियमों और कानूनों से पृथक किया गया था। सम्राट के उत्तराधिकार का प्रश्न संविधान द्वारा तय नहीं किया जा सकता था। इसका हल शाही महल का कानून ही कर सकता था। स्थल और जल सेना के सेनापति तथा स्टाफ की नियुक्ति सम्राट द्वारा ही की जा सकती थी।

मन्त्रि परिषद और प्रिवी कौंसिल परामर्श दात्री समिति थी। मन्त्रिपरिषद जापानी संसद के प्रति उत्तरदायी न होकर सम्राट के प्रति उत्तरदायी रखी गई। प्रिवी कौंसिल का निर्माण सम्राट द्वारा ही किया जाता था। सदस्यों और मन्त्रियों की नियुक्ति सम्राट द्वारा ही की जाएगी। संसद में दो सदन उच्च और निम्न सदन रखे गये। उच्च सदन में कुलीन वर्ग के लोग, राजपरिवार के लोग, काउन्ट, विस्काउण्ट, बैरन लॉर्ड, सम्राट द्वारा मनोनीत सदस्य तथा सर्वाधिक कर देने वाले सदस्य होते थे। निम्न सदन में 15 येन या इससे अधिक कर देने वाले व्यक्ति निर्वाचित हो सकते थे। कानूनों की वैधता के लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक थी। संसद का सत्र वर्ष में तीन माह के लिए होता था। सदस्य विधेयक ला सकते थे, बहस कर सकते थे, सरकार से प्रश्न कर सकते थे। सम्राट को हर कानून पर निषेधाधिकार प्राप्त था। सम्राट संसद को कभी भी भंग कर सकता था।

जनता के मूल अधिकार -

संविधान में जनता के मूल अधिकारों की चर्चा की गई थी। भाषण करने, सभा करने, लिखने, संस्था बनाने और धार्मिक स्वतन्त्रता दी गई थी। योग्यता के आधार पर सरकारी पद सभी के लिए थे, बिना उचित कानूनी दखल के किसी को बन्दी नहीं बनाया जा सकता था नाहीं किसी के घर की तलाशी ली जा सकती थी उन्हें पर्याप्त सम्पत्ति रखने का अधिकार था।

न्याय और कानून -

जापान सरकार ने 1890 ई में पश्चिमी राष्ट्रों को मिले राज्यक्षेत्रातीत अधिकार को समाप्त कर दिया फौजदारी और दीवानी कानूनों की संहिता जारी की गई। फौजदारी कानूनों पर फ्रांसीसी और दीवानी कानूनों पर जर्मनी की छाप थी। न्याय विभाग का भी पुनः संगठन किया गया। फ्रांस की न्याय पद्धति को आदर्श माना गया। 1894 ई. तक सम्पूर्ण देश में नवीन पद्धति लागू कर दी गई।

जापान में आधुनिकीकरण के परिणाम और महत्व

19 वीं शताब्दी के मध्याह्न तक, डर, संकोची, और विश्व से पृथक् रहने वाला जापान अगले 40-50 वर्षों में ही भयरहित आदर्श सशक्त और एक आधुनिक देश के रूप में सामने आया। इन वर्षों में जापान ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन को स्वीकार किया और विश्व के सामने एक मिसाल कायम की कि किस प्रकार एक उन्नत, और आधुनिक देश बनाया जा सकता है। जापान के लोगों के परिश्रमी स्वभाव ने उन्हें विश्व की उन्नत सभ्यताओं में सम्मिलित करा दिया। अपनी प्रभुसत्ता पर हुए आघात को उन्होंने अधिक दिनों तक सहन नहीं किया और औद्योगिकीकरण को अपनाकर अपनी स्वतन्त्र प्रभुसत्ता को पुनः प्राप्त किया। जल्द ही वह फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी आदि पाश्चात्य देशों के समकक्ष आ गया और समानता के आधार पर उनसे सन्धियाँ की। यहीं कारण था कि राज्यक्षेत्रातीत के अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया।

पाश्चात्य जीवन शैली को अपनाने के कारण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन में पर्याप्त परिवर्तन आए। जल्दी ही, जापान एक आर्थिक एवं सैनिक शक्ति बन गया। पाश्चात्य देश भी इस बात को समझ गए कि जापान को चीन नहीं बनाया जा सकता। जापानी की बढ़ती शक्ति जल्द ही, साम्राज्यवादी देश के रूप में प्रस्फुटित हुई। 19 वीं शताब्दी के समाप्त होने से पूर्व ही जापान एशिया का प्रथम साम्राज्यवादी देश बनकर सामने आया। जापान का आधुनिकीकरण विश्व के लिए एक दृष्टांत बन गया।